न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 2016/पुर्नावलोकन

COURT FEE 20 रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

राकेश अवस्थी पुत्र श्री गनेश प्रसाद अवस्थी, आयु 47 वर्ष, निवासी नैगुंवा तहसील नौगांव, जिला छतरपुर म.प्र.

पुर्नावलोकनकर्ता

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र श्री देवकीनन्दन, निवासी ग्राम नैगुवा, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन

...गैरपुर्नावलोकनकर्ता

पुर्नावलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू.रा.सं. विरूद्व आदेश दिनांक 15.032016 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 790/अपील/2016 (मोहन सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन) आदि में पारित आदेश के विरूद्व पुर्नावलोकन व पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

पुर्नावलोकनकर्ता द्वारा आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि, गैरपुर्नावलोकनकर्ता क्रमांक 1 ने भूमि खसरा नं. 900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर स्थित ग्राम नेगुवा को मध्य प्रदेश शासन की भूमि खसरा नं. 1488/1 एवं 1507 रकवा क्रमशः 0.251 एवं 0.401 से अदला बदली आवेदन पत्र पेश किया गया था। गैरपुर्नावलोकनकर्ता की भूमि बंजर/ऊबड़–खाबड़ व पथरीली है, जिस कारण मध्य प्रदेश शासन की भूमि से बदलना चाहता है।

2. यहकि, उक्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही माननीय सक्षम न्यायालय नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर में पेश की गई थी। उक्त आवेदन के उपरांत उपपंजीयक नौगॉव में गाईड अनुसार गैरपुर्नावलोकनकर्ता की भूमि शासकीय भूमि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - रिव्यु-3812-एक/16 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन आवेदन तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील-790-दो/16 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि इस प्रकारण में विवाद अनावेदक क्र. 1 एवं अनावेदक क्र. 2 के मध्य है। आवेदक अधीनस्थ किसी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में उसे पुनरावलोकन प्रस्तुत करने की Locus Standy नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकनइ आवेदन ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	